

# विद्युत वितरण खण्ड

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०

राजापुर चित्रकूट

(F)

पत्रांक 674

/ वि०वि०खण्ड /

दिनांक

18/08/2023

सेवा में

विषय-निजी नलकूप कनेक्शन प्राप्त करने हेतु (टी०सी०)

श्री VED PRAKASH आत्माज श्री SURAJ KARAN ग्राम AMILIHA ब्लाक PAHADI

आपके आवेदन पत्र दिनांक 09.05.2023-1008271208 के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपको नलकूप के लिए

8 HP HP/KW/KVA/BHP तथा पंखा बत्ती के लिए सिरीज में 120 वाट की स्वीकृति दिनांक 16.05.2023 को प्रदान कर दी गयी है।

1. सर्विस कनेक्शन चार्ज रूपाया.....		104836 00	
2. सेवा		4957 00	
3. प्रतिभूति के रूप में (Security) निजी नलकूप रू०..	2400.00	पंखा बत्ती रू०.	100.00
4. मीटर शुल्क	2921.00		
5. अन्य...		0.00	
6. कुल योग रू०...		115214.00	

7. आपको नलकूप को कनेक्शन देने हेतु रू०..... का व्यय मार निगम को वहन करना होगा जबकि निगम द्वारा इस मद से रू०..... की ही स्वीकृति प्रदान की गयी है।

8. आपको कनेक्शन के लिए निगम द्वारा निर्धारित 300 मीटर से अधिक लाइन पडने के कारण रू०..... का अधिक घन जमा करना होगा जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

9. मीटर निरीक्षण शुल्क को शासकीय कोष में 0043 विद्युत पर एवं शुल्क व 102 भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत शुल्क के अन्तर्गत रू० 5500 जमा करना होगा।

10. आपको आपके कनेक्शन के लिए स्वयं विद्युत भंडार केंद्र चित्रकूट से अपने वहन द्वारा समान की दुलाई करनी होगी समान दुलाई के साथ स्वयं के व्यय पर लाइन निर्माण कराना होगा।

11. आपको अपना पम्प हाउस बनाने हेतु आवश्यक ईट बालू तथा सिमेन्ट का प्रबन्ध करना पडता है अतः उन्हीं में से उपयुक्त वस्तुओं की आवश्यक मात्रा आपकी लाइन व कनेक्शन हेतु भी देय होगी।

12. कनेक्शन हेतु लाइन व स्टेशन बनाने में जो गजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी उसे भी आपको प्रबन्ध करना पड़ेगा।

नोट (1) क०सं० 67 तथा 8 के अन्तर्गत आपके द्वारा किए जाने वाले खर्च को आपके इस्टीमेट से कम कर दिया गया है तथा वह शत

(2) सीमेन्ट बातू तथा गिट्टी की आवश्यकता केवल आखिरी खम्मे तथा एंगिल नल पोल तथा स्टेशन के लिए होगी जिनकी मात्रा

प्रति खम्मा..... सीमेन्ट 0.6 बोरी बातू 3 घन फीट गिट्टी 6 घन फीट

प्रति स्टेशन..... सीमेन्ट 0.3 बोरी बातू 1.5 घन फीट गिट्टी 3 घन फीट

(3) आपके कार्य करने के लिए..... मजदूरी की जरूरत होगी यदि आपको ऊपर लिखित शर्त मान्य हो तो आप कृपया किसी दिवस में 10 बजे प्रातः से 12 बजे दोपहर तक दो गवाहों सहित इस कार्यालय में पधारकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करें।

1. नाम जुडिशियल 100/- रू० का जनरल स्टाम्प तथा 1/- रू० का रसीदी टिकट (Revenue Stamp)

2. ऊपर लिखी राशि जमा करने के पश्चात जमानत व सर्विस लाइन चार्ज के रूपों की रसीद की छायाप्रति। 3

एक फोटो प्रमाणित 4. निवास प्रमाण-पत्र

आपको कनेक्शन को बिजली तनी दी जायेगी जब आपका वायरिंग पुरा होगा और बी०एल०फार्म० और मीटर डिक्लेशन फार्म (मीटर सुधारने के लिए हेजरी चालान सहित) अधिसाबी/जुनियर इन्जीनियर क अनियन्ता के पास जमा कर दें तथा उनकी रसीद प्राप्त कर लें। यदि आप उपरोक्त शर्तें

इस पत्र के 30 दिनों के बाद पूरा नहीं करते हैं तो समझा जायेगा कि आपको कनेक्शन की जरूरत नहीं और प्रकरण शुल्क 100/- रू० भी जब्त हो जायेगा।

अधिसाबी अनियन्ता

पत्रांक: प्रतिलिपी:- आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सहायक अनियन्ता विद्युत वितरण उपखण्ड/ग्रामीण उपखण्ड.....
2. खण्ड विकास अधिकारी.....
3. जिला विकास अधिकारी.....
4. अनुबन्ध लिपिक वि०वि० खण्ड.....

अधिसाबी अनियन्ता